

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य। (24)
लम्बाई 3.00 कि०मी०

संलग्नक सं०-2.3

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 02.07.2018 को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के द्वारा शून्य से 3.000 कि०मी० तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दीपक पन्त, उप वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा अनुभाग राजस्व विभाग की ओर से श्री मोहन प्रीति राजस्व उप निरीक्षक सदर जिला अल्मोड़ा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री किशोर चन्द्र भट्ट अमीन के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2028 (मी०) नाप भूमि से, 855 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.825 हे० नाप भूमि 0.925 हे० सिविल भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.925 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 59 वृक्ष चीड़, देवदार, अखरोट, बतैन, खड़िक, मेहल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1528 (मी०) नाप भूमि से, 1472 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.375 हे० नाप भूमि 1.325 हे० सिविल भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.375 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 65 वृक्ष चीड़, अखरोट, बतैन, खड़िक, मेहल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि स्यूरा में चीड़ प्रजाति के एवं बड़सीमी में चीड़ के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 29°36'42.643"N, 79°39'48.979"E है तथा यह स्थल कर्नाक खोला से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल रैलापाली है जिसका GPS मान 29°36'24.414"N, 79°39'15.911"E है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 29°36'30.219"N, 79°39'42.240"E है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 3 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°39'35.26"E 79°39'37.68"E, 29°36'26.65"N 79°39'35.26"E, 29°36'16.52"N 79°39'23.39"E हैं।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

(दीपक कुमार पन्त)
उप वन क्षेत्र अधिकारी,
अनुभाग-अल्मोड़ा
वन क्षेत्र-37

राजस्व उपनिर्देशक
अन्न मंत्रालय
राज्यीय/जिला-अल्मोड़ा

राजस्व उपनिर्देशक
अन्न मंत्रालय
राज्यीय/जिला-अल्मोड़ा